(123)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 805–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–2–2017 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 69/अपील/2013–14.

बृजेन्द्रसिंह आत्मज श्री नारायण सिंह रघुवंशी
निवासी उदयपुरा तहसील उदयपुरा
जिला रायसेन

.....आवेदक

विरूद्ध

भगवत सिंह आत्मज श्री मूरतसिंह
निवासी किरार मोहल्ला उदयपुरा
जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदक

श्री राजेन्द्रसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष मौजा उदयपुरा कस्बा स्थित भूमि खसरा नम्बर 613/1/1 के अंश भाग रकबा 0.026 हेक्टेयर पर सीमांकन उपरांत आवेदक का अप्राधिकृत कब्जा पाये जाने पर उसे हटाये जाने हेतु संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण

न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर आवेदक के अप्राधिकृत कब्जा हटाये जाने का आदेश दिनांक 3–7–13 पारित किया गया । इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 24–1–14 को आदेश पारित कर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 28–2–17 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त ने अपना आदेश पारित किये जाने के पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि अनावेदक तहसील न्यायालय में यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि आवेदक ने उसकी भूमि पर कब से और किस तरह से उसको बेदखल किया है ऐसी दशा में पारित आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदक ने भूमि प्रदीप आत्मज शिवनारायण से क्रय की है । जब अनावेदक ने भूमि क्रय की तब उसे संपूर्ण भूमि की नप्ती करवाकर क्रय की जानी चाहिये थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की जो कार्यवाही की गई है उक्त कार्यवाही विधिवत् नहीं है । यह एस0एल0आर0 के कथन से भी स्पष्ट होता है कि ऐसी दशा में भी तहसील न्यायालय का आदेश विधि विपरीत है जिसे स्थिर रखने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा वैधानिक एवं न्याय की भूल की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन कराने के उपरांत संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आवेदक का अप्राधिकृत कब्जा हटाये जाने का आदेश दिया गया है । सीमांकन की कार्यवाही के संबंध में संहिता की धारा 250

के अंतर्गत विचार किया जा सकता है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में एस0एल0आर0 की टीम गठित कर सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है तथा सीमांकन की कार्यवाही को चुनौती दिये जाने की व्यवस्था पृथक से दी गई । तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही विधिवत् की गई, जिसके आधार पर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है । तहसील न्यायालय के न्यायसंगत आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आरएन 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा 50 – तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर